सं॰सं॰ : 33 / वि॰ (भत्ते)–55 / 2017 ......1831 / वि०

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची, दिनांक : 29.07.2024

संकल्प

विषय : राज्य के सरकारी सेवकों को अनुमान्य मकान किराया भत्ता सहित अन्य भत्तों से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या 737/वि० दिनांक 27.03.2018 (यथा संशोधित) में संशोधन के संबंध में।

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने अपने सेवीवर्ग को केन्द्रीय कर्मियों के भाँति पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ वित्त विभागीय संकल्प संख्या 217/वि० दिनांक 18.01.2017 तथा संकल्प संख्या 737/वि० दिनांक 27.03.2018 (यथा संशोधित) के द्वारा केन्द्र के अनुरूप विभिन्न भत्ते अनुमान्य किये गये हैं।

2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 737/वि० दिनांक 27.03.2018 (यथा संशोधित) द्वारा राज्य के सरकारी सेवकों के लिए यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का प्रावधान किया गया है।

3. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1921/वि० दिनांक 26.08.2021 द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों को महँगाई भत्ता 25 प्रतिशत से अधिक होने पर दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से X, Y एवं Z श्रेणी के शहरों के लिए मकान किराया भत्ता की दरें पुनरीक्षित कर क्रमशः मूल वेतन के 27%, 18 % एवं 9 % के आधार पर अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है।

4. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के पत्रांक 2/5/2017-E.II(B) दिनांक 07.07.2017 की कंडिका–3 द्वारा मकान किराया भत्ता के दरों को निम्नरूपेण अधिसूचित किया गया है :–

"The rates of HRA will be revised to 27%, 18% & 9% for X, Y & Z class cities respectively when Dearness Allowance (DA) crosses 25% and further revised to 30%, 20% & 10% when DA crosses 50%."

5. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के पत्रांक 19030/1/2017-E.IV दिनांक 13.07.2017 में महँगाई भत्ता 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होने की स्थिति में सरकारी कार्य के दौरान यात्रा करने पर Hotel Charge, Travelling Charge एवं Food Charge की प्रतिपूर्ति तथा निजी सामग्रियों के परिवहन हेतु निर्धारित दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि होने का प्रावधान है।

6. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 745/वि० दिनांक 15.03.2024 द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ता 50 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

7. राज्य के सरकारी सेवकों का स्थानान्तरण होने पर निजी सामग्रियों के परिवहन एवं निजी वाहन की ढुलाई से संबंधित प्रावधान है। निजी सामग्रियों एवं वाहन के परिवहन हेतु अनुमान्य दर इस पर निर्भर करता है कि स्थानान्तरण का स्थान रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है अथवा नहीं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रेल मार्ग की अपेक्षा सड़क मार्ग से परिवहन की सुविधा अधिक

सुगम एवं व्यवहारिक होने के दृष्टिपथ अनुमान्यता संबंधित उपर्युक्त प्रावधानों को सरल किया जाना समीचीन है।

8. राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत उपरोक्त के आलोक में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) में केन्द्रीय कर्मियों को अनुमान्य विभिन्न भत्तों के दृष्टिपथ राज्य के सरकारी सेवकों को अनुमान्य मकान किराया भत्ता सहित अन्य भत्तों के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्प में प्रावधानित विभिन्न कंडिकाओं को निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :–

I. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1921/वि० दिनांक 26.08.2021 की कंडिका–6 :–

वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
राज्य सरकार के कर्मियों को महँगाई भत्ता 25 प्रतिशत से अधिक होने पर दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से X, Y एवं Z श्रेणी के शहरों के लिए मकान किराया भत्ता की दरें पुनरीक्षित कर क्रमशः मूल वेतन के 27%, 18 % एवं 9 % के आधार पर अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है।	राज्य सरकार के कर्मियों को महँगाई भत्ता 50 प्रतिशत होने की स्थिति में दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से X, Y एवं Z श्रेणी के शहरों के लिए मकान किराया भत्ता की दरें पुनरीक्षित कर क्रमशः मूल वेतन के 30%, 20% एवं 10% के आधार पर अनुमान्य किया जाय।

II. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 737/वि० दिनांक 27.03.2018 की कंडिका–5V(B)(क) दैनिक भत्ता {नियम 69(i)} :–

क्र०	ग्रेड वेतन	वर्तमान अनुमान्यता	संशोधित अनुमान्यता
1	Level 14 एवं इससे अधिक का वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी	(i) 7500/– रूपये तक प्रतिदिन होटल आवास/गेस्ट हाउस के लिये प्रतिपूर्ति, (ii) शहर के अन्दर यात्रा के लिये 50 कि०मी० तक वातानुकूलित टैक्सी प्रभारों की प्रतिपूर्ति, (iii) प्रतिदिन अधिकतम 1200/– रूपये के खाने के विपत्रों की प्रतिपूर्ति।	(i) 9350/– रूपये तक प्रतिदिन होटल आवास/गेस्ट हाउस के लिये प्रतिपूर्ति, (ii) शहर के अन्दर यात्रा के लिये 50 कि०मी० तक वातानुकूलित टैक्सी प्रभारों की प्रतिपूर्ति, (iii) प्रतिदिन अधिकतम 1500/– रूपये के खाने के विपत्रों की प्रतिपूर्ति।
2	Level 12 से 13A का वेतनमान प्राप्त करने वाले	(i) 4500/– रूपये तक प्रतिदिन होटल आवास/गेस्ट हाउस के लिये प्रतिपूर्ति,	(i) 5600/– रूपये तक प्रतिदिन होटल आवास/गेस्ट हाउस के लिये प्रतिपूर्ति,

	अधिकारी	(ii) शहर में यात्रा के लिये 50 कि०मी० तक बिना वातानुकूलित टैक्सी प्रभारों की प्रतिपूर्ति, (iii) प्रतिदिन अधिकतम 1000/- रूपये के खाने के विपत्रों की प्रतिपूर्ति।	(ii) शहर में यात्रा के लिये 50 कि०मी० तक बिना वातानुकूलित टैक्सी प्रभारों की प्रतिपूर्ति, (iii) प्रतिदिन अधिकतम 1250/- रूपये के खाने के विपत्रों की प्रतिपूर्ति।
3	Level 9 से 11 का वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी	(i) 2250/- रूपये तक प्रतिदिन होटल आवास /गेस्ट हाउस के लिये प्रतिपूर्ति, (ii) शहर में यात्रा के लिये प्रतिदिन 338/- रूपये तक के टैक्सी प्रभारों की प्रतिपूर्ति, (iii) प्रतिदिन अधिकतम 900/- रूपये के खाने के विपत्रों की प्रतिपूर्ति।	(i) 2800/- रूपये तक प्रतिदिन होटल आवास /गेस्ट हाउस के लिये प्रतिपूर्ति, (ii) शहर में यात्रा के लिये प्रतिदिन 420/- रूपये तक के टैक्सी प्रभारों की प्रतिपूर्ति, (iii) प्रतिदिन अधिकतम 1125/- रूपये के खाने के विपत्रों की प्रतिपूर्ति।
4	Level 6 से 8 का वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारी	(i) 750/- रूपये तक प्रतिदिन होटल आवास /गेस्ट हाउस के लिये प्रतिपूर्ति, (ii) शहर में यात्रा के लिये प्रतिदिन 225/- रूपये तक के यात्रा प्रभारों की प्रतिपूर्ति, (iii) प्रतिदिन अधिकतम 800/- रूपये के खाने के विपत्रों की प्रतिपूर्ति।	(i) 930/- रूपये तक प्रतिदिन होटल आवास /गेस्ट हाउस के लिये प्रतिपूर्ति, (ii) शहर में यात्रा के लिये प्रतिदिन 280/- रूपये तक के यात्रा प्रभारों की प्रतिपूर्ति, (iii) प्रतिदिन अधिकतम 1000/- रूपये के खाने के विपत्रों की प्रतिपूर्ति।
5	Level 5 एवं इससे कम का वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारी	(i) 450/- रूपये तक प्रतिदिन होटल आवास के लिये प्रतिपूर्ति, (ii) शहर में यात्रा के लिये प्रतिदिन 113/- रूपये तक के यात्रा प्रभारों की प्रतिपूर्ति, (iii) प्रतिदिन अधिकतम 500/- रूपये के खाने के विपत्रों की प्रतिपूर्ति।	(i) 560/- रूपये तक प्रतिदिन होटल आवास के लिये प्रतिपूर्ति, (ii) शहर में यात्रा के लिये प्रतिदिन 140/- रूपये तक के यात्रा प्रभारों की प्रतिपूर्ति, (iii) प्रतिदिन अधिकतम 625/- रूपये के खाने के विपत्रों की प्रतिपूर्ति।

III. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 737/वि० दिनांक 27.03.2018 की कंडिका–5V(B)(ख) दैनिक भत्ता {नियम 69(i) के बदले में} (i) :–

क्र॰	ग्रेड वेतन	वर्तमान दर			संशोधित दर		
		श्रेणी "X"	श्रेणी "Y"	श्रेणी "Z" एवं अवर्गीकृत	श्रेणी "X"	श्रेणी "Y"	श्रेणी "Z" एवं अवर्गीकृत
1	Level 14 एवं इससे अधिक का वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी	1000	850	700	1250	1060	875
2	Level 12 से 13A का वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी	700	600	500	875	750	625
3	Level 9 से 11 का वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी	500	450	350	625	560	430
4	Level 6 से 8 का वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारी	450	350	250	560	430	310
5	Level 5 एवं इससे कम का वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारी	250	225	200	310	280	250

IV. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 737/वि० दिनांक 27.03.2018 की कंडिका–5VI(ग) निजी सामग्रियों के परिवहन की अनुमान्यता {नियम 85(iii)} :–

क्र॰	ग्रेड वेतन	रेल द्वारा	सड़क द्वारा परिवहन के लिये	
			वर्तमान दर प्रति कि०मी०	संशोधित दर प्रति कि०मी०
1	Level 12 एवं इससे अधिक का वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी	मालगाड़ी/चार पहिया वैगन/1 डबल कन्टेनर द्वारा 6000 कि०ग्रा० तक	50.00	63.00
2	Level 6 से Level 11 का वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारी	मालगाड़ी/चार पहिया वैगन/1 सिंगल कन्टेनर द्वारा 6000 कि०ग्रा० तक	50.00	63.00
3	Level 5 का वेतनमान प्राप्त करने	3000 कि०ग्रा० तक	25.00	31.00

	वाले कर्मचारी			
4	Level 4 एवं इससे कम का वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारी	1500 कि०मी० तक	15.00	19.00

वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
नोट :—	नोट :—
(i) केवल सड़क मार्ग से जुड़े स्थानों के बीच उपर्युक्त दर पर व्यक्तिगत सामग्री के परिवहन की सुविधा अनुमान्य होगी। (ii) यदि सरकारी सेवक द्वारा रेलमार्ग से जुड़े स्थानों के बीच व्यक्तिगत सामग्री की ढुलाई सड़क मार्ग से की जाती है, तो ऐसी ढुलाई पर होने वाला वास्तविक व्यय अथवा मालगाड़ी से संबंधित सरकारी सेवक को अनुमान्य अधिकतम सामग्री की ढुलाई के लिये देय राशि का सवा गुणा, दोनों में जो कम हो, सरकारी सेवक को अनुमान्य होगा। (iii) यह सुविधा वास्तविक रूप से स्थान परिवर्तन होने पर ही अनुमान्य होगी।	(i) रेल मार्ग से निजी सामग्रियों की ढुलाई पर होने वाला वास्तविक व्यय अथवा संबंधित सरकारी सेवक को अनुमान्य अधिकतम सामग्री की ढुलाई के लिये देय राशि, दोनों में से जो कम हो, अनुमान्य होगा। (ii) सड़क मार्ग से निजी सामग्रियों की ढुलाई पर सड़क द्वारा परिवहन के लिए निर्धारित उपर्युक्त संशोधित दर अथवा वास्तविक व्यय, दोनों में से जो कम हो, अनुमान्य होगा। (iii) यह सुविधा वास्तविक रूप से स्थान परिवर्तन होने पर ही अनुमान्य होगी।

V. **वित्त विभागीय संकल्प संख्या 737/वि० दिनांक 27.03.2018 की कंडिका–5VI(घ) की उप कंडिका (b) सड़क मार्ग को विलोपित करते हुए निम्नरूपेण अंतः स्थापित करने का निर्णय लिया गया है :–**

(b) सड़क मार्ग से :–

कार/स्कूटर/मोटर साईकिल/मोपेड :–

क्र॰	यात्रा के साथ	अनुमान्यता
1	वाहन को ट्रक पर लादकर भेजने पर	वास्तविक खर्च अथवा 12/– रूपये प्रति कि०मी० की दर पर अनुमान्य राशि, दोनों में से जो कम हो, अनुमान्य होगा।

2	जब वाहन चलाकर भेजा जाये	वास्तविक खर्च अथवा निम्नांकित दर पर अनुमान्य राशि, दोनों में से जो कम हो, अनुमान्य होगा :–

ग्रेड वेतन	वाहन	दर (प्रति कि०मी०)
Level 13A एवं इससे अधिक का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	कार (AC)	24 (चौबीस) रूपये
Level 13 एवं इससे कम का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	कार (Non-AC)	12 (बारह) रूपये
सभी स्तर के सरकारी सेवक	स्कूटर/मोटर साईकिल/मोपेड	12 (बारह) रूपये

नोट :– जब वाहन चलाकर भेजा जाये और सरकारी सेवक/परिवार के सदस्य वाहन यात्रा कर रहे हों, तो उन्हें वायु/रेल/सड़क यात्रा के लिए यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। अलग यात्रा के लिये यथास्थिति, वायु/रेल/सड़क यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

9. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 737/वि० दिनांक 27.03.2018, संकल्प संख्या 518/वि० दिनांक 01.03.2019 एवं संकल्प संख्या 1921/वि० दिनांक 26.08.2021 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

10. कंडिका–8(I) में मकान किराया भत्ता से संबंधित प्रावधान दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से तथा कंडिका–8(II) से 8(V) से संबंधित प्रावधान आदेश निर्गत की तिथि के प्रभाव से लागू होगा।

11. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1770/वि० दिनांक 23.07.2024 के क्रम में दिनांक 24.07.2024 की बैठक के मद सं० 22 में दी गई है।

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

29/07/24

(प्रशांत कुमार)
सचिव।

ज्ञापांक : 33/वि० (भत्ते)–55/2017......1831/वि० **राँची, दिनांक** 29.07.2024

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/24

(प्रशांत कुमार)
सचिव।

ज्ञापांक : 33/वि॰ (भत्ते)–55/2017.......1831/वि॰ राँची, दिनांक 29/07/2024

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार/उप–कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/वित्त विभाग, झारखण्ड के सभी पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग, झारखंड/श्री कृष्ण मुरारी तिवारी, पी॰एम॰यू॰ कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/24

(प्रशांत कुमार)
सचिव।

ज्ञापांक : 33/वि॰ (भत्ते)–55/2017.......1831/वि॰ राँची, दिनांक 29/07/2024

प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को इस आदेश के साथ प्रेषित कि वे इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र असाधारण अंक में करके e-गजट के रूप में वित्त प्रशाखा–33 को सूचना उपलब्ध करावें।

29/07/24.

(प्रशांत कुमार)
सचिव।